न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामबाई बनाम राकेश

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 16 / 2025

24.01.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 124 / 0.73, 126 / 310 / 0.15, 125 / 0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम नैडोली तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण मौके पर शांतिपुर्ण तरीके से काबिज काश्त है। हाल आराजी खसरा संख्या 117 / 408 / 0.50 है0 ग्राम नैडोली में पडोसी प्रतिवादी संख्या 01 राकेश का अवस्थित है। साथ ही खसरा संख्या 359 / 117 / 1.60 सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। सन 1975 में साबिक खसरा संख्या 36 ग्राम नैडोली तहसील टहला करीब 100 बीघा सिवायचक भूमि में से करीब 05 बीघा भूमि प्रार्थीगण को आवंटन सलाकार समिति द्वारा आवंटन कि गई थी। तब से ही प्रार्थीगण अपन भूमि पर काबिज काश्त है। जबकि प्रार्थीगण को 5 बीघा के स्थान पर नक्शें में 03 बीघा ही गलत अंकित कर दी गई। शेष 2 बीघा भूमि का पृथक से तितम्मा अंकित कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जो गलत तितम्म दर्ज रिकार्ड किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी आराजो पर दीगर व्यक्तियों के दखल से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं वादों की बहुलता बढेगी। अन्त में उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 117 / 408 / 0.50 है0 पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का कथन किया अतः: अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 117 / 408 / 0.50 वाके ग्राम नैडोली तहसील टहला जिला अलवर में प्रश्नगत भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विवाधित भूमि किसी भी प्रकार से रहन / बेचान नहीं करे। यथास्थिति के आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27.03.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हस्ताक्षर)

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

27/3/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	29-09-25 पत्रावली इकजाई तारीख से पेश। वकील प्रार्थी उप.। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 11-11-25 को पेश हो। SDO पुनःश्च इतना लिखने पर मुलवाद अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारीज हो जाने के कारण प्रा. पत्र भी अदम हाजरी/ अदम पैरवी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख भण्डार हो। SDO